

FORM NO.111

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) श्रीमाधोपुर (सीकर)

जगदीश प्रसाद

बनाम

गिरधारी वगै०

किस्म मुकदमा:- दावा

मुकदमा नम्बर:- 6/2022

		नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुये
26.05.2022	<p>वादीगण की ओर से श्री शंकर लाल सैनी एड० ने उपस्थित होकर दावा अन्तर्गत धारा 53. 188. राजस्थान कास्तकारी अधिनियम 1955 का पेश किया। दावा दर्ज रजिस्टर किया जावे। वादीगण के निवेदन पर प्रतिवादीगण की तलबी जरिये सम्मन मय नकले साधारण तरिके से एवं रजिस्टर्ड डाक मय लिफाफे/स्पीड पोस्ट के जारी की जावे। पत्रावली वास्ते देखने तामिल दिनांक 13.06. 2022 को पेश हो।</p> <p>दिलीप सिंह सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) श्रीमाधोपुर (सीकर)</p>	
18.07.2022	<p>इकजाई तारीख पेशियाँ दिये जान ने पर पत्रावली आज पेश हुई। पत्रावली आज पेश हुई। वकील वादी व पक्षकारान अनुपस्थित। प्रकरण में कोर्ट समाप्ति तक रुक-रुककर बार-बार आवाज दिलवाई गई। वकील वादी व पक्षकारान् में से कोई हाजिर अदालत नहीं आये है। अतः वकील वादी व पक्षकारान् की अनुपस्थिति में दावा अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारीज किया जाता है। पत्रावली फल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।</p> <p>दिलीप सिंह (दिलीप सिंह) सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) श्रीमाधोपुर (सीकर)</p> 	